निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 150/2024
दायरा दिनांकः–28.10.2024
निर्णय दिनांकः–

उनवान

1. भूली बाई आयु 45 वर्ष पत्नि माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सोलतपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. लाड बाई आयु 45 वर्ष पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति बैरवा निवासी ग्राम उचावद तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,88,39,90,188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वाके माल हनुवतखेडा पटवार मण्डल चांचोडा तहसील छबड़ा मे वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 211 में खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7208 हैक्टयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड जमावदी चली आ रही है। जिस पर वादीगण बिना किसी बांधा व्यवधान के काश्त करती चली आ रही है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 वर्णित आराजी वादीगण द्वारा छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र, कान्तीबाई, पार्वतीबाई, सुमित्राबाई पुत्रीयां रामचन्द्र मांगीबाई वैवा रामचन्द्र जाति चमार निवासीगण हनुवतखेड़ा से खरीदी गई थी जो नामान्तरण नम्बर 889 दिनांक 02/06/2015 से वादीगण के शामनाती खाते मे दर्ज रिकार्ड जमाबंदी दर्ज हुई थी। जिस पर वादीगण काबिज एव काश्त करती चली आ रही है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यूमेशन दर्ज होने से वादीगण को दान, रहन, बेचान नामान्तरकरण एंव राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रही है। जो कि एक खातेदार को कानूनी अधिकार है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम एव माफीयात रिज्यूमेशन हटवाने बाबत राजस्व कर्मचारियो से दिनांक 20/10/2024 को सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह दी गई। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम एंव माफीयात रिज्यमेशन दर्ज है जिसे वादीगण खातेदार दर्ज करवाने की अधिकारी है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के लेण्ड होल्डर प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबडा होने से वाद पत्र मे पक्षकार बनाए गये है जिन्हे 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वादीगण की आराजी पर वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम एव माफीयात रिज्यूमेशन दर्ज होने से के.सी. सी. रिन्यू दान रहन बेचान नामान्तरकरण नहीं होने के कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिये विना 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 211 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 242 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 241 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 228 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 221 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 181 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2050–53 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 168 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 173 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 151 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2033–36 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2029–32 खाता संख्या 145 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 143 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2017–20 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 128 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2012 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 भूली बाई के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे में चली आ रही है वादीगण द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी जो नामान्तरण संख्या 889 दिनांक 02.06.2015 से वादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज हुई तब से वादीगण काश्त करतें चले आ रहे है उक्त भूमि पर वादीगण के नाम से साथ रिज्यूम एवं माफियात रिज्यूमशन दर्ज है जिससे वादीगण को दान,रहन,बेचान, नामान्तरण एवं राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है वादीगण की विवादित आराजी से माफियात रिज्यूमशन हटाया जावें। जिससे वादीगण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं वादीगण के सामने आने वाली समस्याओं से निजात पा सके। वादीगण के खाते में रिज्यूमशन दर्ज होने से वादीगण को कई अन्य समस्याएं आ रही है वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के खाते से रिज्यूमशन शब्द हटाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इसके सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 211 खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7208 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जिस पर वादीगण बिना किसी बाधा व्यवधान के काश्त करती चली आ रही है वादीगण द्वारा छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र, कान्ती बाई पार्वती बाई, सुमित्रा पुत्रिया रामचन्द्र, मांगीबाई बेवा रामचन्द्र जाति चमार निवासी हनुवतखेडा से खरीद गई थी। नामान्तरण संख्या 889 दिनांक 02.06.2015 से वादीगण काबिज काश्त करतें चले आ रहे है वादीगण के नाम के साथ रिज्यूम एवं माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से वादीगण को दान,रहन,बेचान, नामान्तरण दर्ज नही कर सकतें व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे है वादीगण खसरा नम्बर 92 के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई जमाबन्दी सेटलेमेन्ट सम्वत् 2012 में खसरा नम्बर 92 में माफियात शब्द दर्ज था। जिसके बाद वाली जमाबन्दी से लेकर वर्तमान जमाबन्दी में माफियात रिज्यूमशन शब्द खाते में दर्ज है खातेदारों के हितों से उक्त आराजी से नियमानुसार माफी रिज्यूमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 211 में रिज्यूम भूलीबाई पत्नि माधोलाल रिज्यूम लाडबाई पत्नि लक्ष्मण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 242 रिज्यूम छीतरलाल पुत्र रामचन्दथ कान्ती बाई, पार्वती बाई, सुमित्रा बाई, पुत्रिया रामचन्द्र मांगीबाई बेवा रामचन्द्र के खातेदारी में दर्ज थी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 889 दिनांक 02.06.2015 से सम्पूर्ण खाता क्रेता भूली बाई पत्नि माधोलाल जाति बैरवा एवं लाडबाई पत्नि लक्ष्मण सिंह के नाम खाते दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 206–69 खाता संख्या 241 में रिज्यूम छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र, कान्ति बाई, पार्वती बाई, सुमित्रा बाई, पुत्रिया रामचन्द्र मांगी बाई बेवा रामचन्द्र के नाम दर्ज होना पाया जाता है चुकिं विवादित आराजी वादीगण द्वारा खातेदारान से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है जिसका नामान्तरण संख्या 889 दिनांक 02.06.2015 खोला जाकर तस्दीक किया गया। वर्तमान में भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है मुताबिक रिकार्ड सम्वत् 2012 से सम्वत् 2077 तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रिज्यूम दज चला आ रहा है खातेदारान द्वारा भूमि का रहन,बेचान,दान,हस्तान्तरण हुआ है अर्थात् उक्त भूमि का माफियात रिज्यूमशन दर्ज खातेदारों के द्वारा विधिक बेचान/हस्तान्तरण हुआ है एवं इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुए वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑन लाईन होने के कारण नामान्तरण व फार्मर आई.डी नही बन पा रही है एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती नही हो रही है।

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा ''

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7208 है0 भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बोरा)

डिक्री

वाद संख्या 150 / 2024	धारा 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 23.04.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री सोमेश गालव वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भूली बाई आयु 45 वर्ष पत्नि माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सोलतपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. लाड बाई आयु 45 वर्ष पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति बैरवा निवासी ग्राम उवावद तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7208 है0 भूमि में वादीगण के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		